कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला सामान्य (शस्त्र) प्रशाखा)

-:: आ_दे_श ::-

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक श्री मुकुन्द मंत्री, पिता-स्व0 बाल चन्द मंत्री,सा0-लोहाड़पट्टी रोड, पो0+थाना+जिला-किशनगंज की शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-06/के.जी./2002 वर्ष 2010 तक के लिए नवीकृत है। उन्होंने वर्ष 2011-13 तक के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु दिनांक 26.03.2012 को आवेदन पत्र समर्पित किया है। ।

शस्त्र अनुज्ञप्ति का असमय नवीकरण नहीं कराने के सम्बन्ध में इस कार्यालय का ज्ञापांक 1377/जि.सा.(शस्त्र), दिनांक 03.02.2012 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा की गई। दिनांक 22.01.2012 को उन्होंने अपना कारण पृच्छा समर्पित किया है, जिसमें अपने व्यवसाय के सिलसिले में व्यस्त रहने के कारण निर्धारित समय पर शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराने की बात कही गयी।

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के लिखित प्राधिकार पत्र के साथ अन्य व्यक्ति द्वारा भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण के लिए वांछित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र दाखिल कराया जा सकता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

इस प्रकार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति संख्या-06/के.जी./2002 द्वारा शस्त्र अधिनियम एवं शस्त्र नियमावली के प्रावधानों / शर्तों का उल्लंघन किया गया है एवं बगैर शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकरण कराये एक लम्बी अवधि तक अवैध रूप से अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर शस्त्र धारित किया गया है।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम/शस्त्र नियमावली के प्रावधानों शर्तों का उल्लंघन एवं शस्त्र धारित करने के आरोप में श्री मुकुन्द मंत्री, पिता-स्व0 बाल चन्द मंत्री,सा0-लोहाड़पट्टी रोड, पो0+थाना+जिला- किशनगंज के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-06/के.जी./2002 सह पिस्टल संख्या-0.32 बोर RP-112526 I.O.F. को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3)(b) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से रद्द करते हुए शस्त्र पिस्टल संख्या- 0.32 बोर RP-112526 I.O.F. को निकटवर्ती थाना में जमा कराने का आदेश दिया जाता है।

ह०/-
जिला दण्डाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक...246.../जि0सा0(शस्त्र), किशनगंज, दिनांक..26.../.02../2012

प्रतिलिपि :: शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मुकुन्द मंत्री, पिता-स्व0 बाल चन्द मंत्री,सा0-लोहाड़पट्टी रोड, पो0+थाना+जिला-किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि शस्त्र को अविलम्ब संबंधित थाना में जमा कर मूल अनुज्ञप्ति के साथ अनुपालन की सूचना दें।

प्रतिलिपि :: पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र को अविलम्ब सम्बन्धित थाना में जमा करवाने हेतु थानाध्यक्ष को निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबन्धन (आई.टी.) किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी जिला दण्डाधिकारी (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
किशनगंज।